कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/ 1418 /एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 30 .07.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीडित/संदेही से संपर्क/दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 357/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 18-07-2020 के द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने जिला स्तर पर प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कडाई की जा सकती है, निर्देशित किया गया है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला जांजगीर-चाम्पा के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगरपालिका परिषद् जांजगीर-नैला, चाम्पा, अकलतरा, सक्ती एवं नगर पंचायत बलौदा, खरौद, राहौद, शिवरीनारायण, नवागढ़ , सारागांव, नया बाराद्वार जैजैपुर, अडभार, डभरा, चन्द्रपुर) में दिनांक 24-07-2020 से 30-07-2020 तक कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1384/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 19-07-2020 के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

अत: कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1384/एडीएम/2020 जांजगीर, दिनांक 19-07-2020 के द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 31-07-2020 से 06-08-2020 तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है -

1- प्रभावित क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर-आवश्यक परिवहन सेवाएं, जिनमें निजी बसें, टैक्सी, बसें, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है के परिचालन की अनुमति नही होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। **प्रतिबंधात्मक अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गठित सर्विलांस टीम, कोरोना वायरस (कोविड-19) के नमूना संग्रह करने वाली टीम एवं निगरानी टीम को आवागमन की अनुमति होगी।**

2- प्रभावित क्षेत्रों (संबंधित नगरीय क्षेत्र) से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।

3- जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।

4- व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा ताकि इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।

5- प्रभावित क्षेत्रों (संबंधित नगरीय क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को निम्न शर्तो के अधीन छूट रहेगी -

a) यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाईयों के अंदर करनी होगी।

b) आवश्यकता पडने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/ईकाईयों को स्वयं करनी होगी।

c) संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

d) इन ईकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

6- ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

7- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटल स्थल एवं सार्वजनिक पार्क/उद्यान आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।

8- विदेश से आने वाले सभी नागरिक को/अन्य राज्य से आये हुए नागरिक जो पेड क्वारेंटाईन/होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कडाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

9- प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है (आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोडकर)। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

10- प्रभावित क्षेत्रों में साप्ताहिक हॉट-बाजार आदि बंद रहेगी।

11- **रेस्टोरेंट, ठेला/गुमटी, हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान/पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे डिस्कोथेक) आदि बंद रहेगी।** अपवाद-स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/स्वास्थ्यकर्मी/श्रमिक/पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं क्वारंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, रेलवे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोडकर/रेस्टोरेंट/होटल को होम डिलविरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।

12- समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खडे होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा।

13- सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

14- सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

15- यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड-भाड वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड-भाड न हो।

16- जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा।

17- होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

18- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान निम्नानुसार संचालित की जा सकेगी :-

- प्रभावित क्षेत्रों में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय, कार्यालयीन समय के अनुसार खुलेंगे तथा सभी शासकीय कार्य संपादित किये जायेंगे। **परन्तु सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिये बंद रहेंगे।** अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पहचान हेतु कार्यालय/संस्था प्रमुख द्वारा जारी आई कार्ड अनिवार्य होगा।
- कंटेनमेंट जोन में शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय संचालन की अनुमति नही होगी।
- दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में ''अरोग्य सेतु एप्प'' डाउनलोड करवायें।
- 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।
- भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय/राज्य सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय/ विभागों के अंतर्गत निगम/मंडल/आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयां,
- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी,
- स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है)
- दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन,
- खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,
- उचित मूल्य की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
- खाद्य पदार्थ, किराने के सामान, दूध, ब्रेड, फल, एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भण्डारण/परिवहन की गतिविधियां,
- मिल्क संयंत्र (मिल्क प्लांट)
- **बिन्दु क्रमांक 11 प्रतिबंधित दुकान/प्रतिष्ठान को छोडकर शेष समस्त प्रकार के अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को समय प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।** यदि कोई किराना व्यापारी दोपहर 1:00 बजे के बाद घर पहुंच सेवा प्रदान करना चाहता हो तो उसे अनुमति होगी, किन्तु इसके लिये दुकान को अतिरिक्त समय के लिये खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस कार्य के लिये यदि कोई कर्मचारी को पास की आवश्यकता होगी तो संबंधित दुकानदार कर्मचारियों का आई कार्ड संबंधित क्षेत्र के थाना/चौकी प्रभारी से बनवा सकते है। दुकानदारों को अपने दुकान के सामने में ग्राहकों के न्यूनतम 10-12 गोल घेरा बनाना होगा उसी गोल घेरा अनुसार ग्राहकों को बारी-बारी से बुलाकर सामाग्री विक्रय करना होगा। अगर गोल घेरा से ज्यादा ग्राहक आपके दुकान में आते है तो उन्हें बाद में आने के लिये या जाने की बोलना होगा।
- **होटल प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जिसमें केवल मिष्ठान एवं नमकीन विक्रय करने एवं टेक अवे की ही अनुमति होगी।**
- **राखी, सेवई एवं त्यौहार में उपयोग आने वाले अन्य सामाग्री विक्रय करने हेतु पृथक से स्टॉल लगाने की अनुमति होगी, किन्तु स्टॉल लगाने हेतु स्थान का चिन्हांकन संबंधित नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा और उसी चिन्हांकित/आबंटित स्थान में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। स्टॉल का संचालन प्रातः 5:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाएगा।**

- ठेले पर घूम-घूम कर सब्जी/फल बेचने की अनुमति होगी।
- प्रत्येक नगरीय निकाय में कम से कम दस स्थान सब्जी विक्रेताओं के लिये जोन बनाकर निर्धारित किये जायेंगे। संबंधित जोन के व्यक्तियों को उसी जोन से फल, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं क्रय करना होगा। जोन से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत कारणों से होगी।
- **थोक सब्जी को समय प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी,**
- **घर पर जाकर दूध बांटने एवं न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक अनुमति होगी,**
- मॉस्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगी।
- बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं,
- जेल,
- अग्निशमन सेवाएं,
- एटीएम,
- टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आई.टी. आधारित सेवाएं,
- पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधिया पूर्वानुसार संचालित रहेगी,
- पोस्टल सेवाएं,
- खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति,
- होम डिलवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिये डायनिंग सेवाएं,
- सुरक्षा कार्य में लगी संभी एजेसियां (निजी एजेसियां सहित)
- अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फार्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टीलाइजर एवं खान (माईन्स)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं सं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगी तथा औद्योगिक संस्थान अपने श्रमिकों को एवं अधिकारियों के आवागमन हेतु निर्धारित वाहन (छोटे चार पहिया वाहन) की व्यवस्था करेंगे एवं इनकी जिम्मेदारी वहन करेंगे।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
- आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सडक, रेल एवं अन्य माध्यम से लोगों के आवागमन की अनुमति होगी।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

19- **छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के निर्देश पत्र क्रमांक/जनसम्पर्क/क्यू/2020 दिनांक 29-07-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिये शासन-प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तान आदि के लिये जारी एडवाईजरी -**

- प्रतिबंधात्मक आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुए ईद-ए-अजहा का त्यौहार सादगी से मनाया जाए। किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
- ईदगाहों में सार्वजनिक नमाज नहीं पढी जाएगी, परन्तु समाज के प्रमुख (मौलाना सहित) 04 लोग मास्क पहनकर, फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए नमाज पढी जा सकेगी। वहीं फजर के तुरंत बाद ईद-ए-अजहा अदा कर ली जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे।
- गौरतलब है कि ईद-ए-अजहा के इस त्यौहार में मुस्लिम समाज के द्वारा कुर्बानी दी जाती है। चूंकि प्रतिबंधात्मक अवधि में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, इसलिये कुर्बानी घरों पर ही की जाए और कुर्बानी का हिस्सा अपने घरों के आसपास ही तकसीम किया जाए।
- त्यौहार के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

20- **प्रतिबंधात्मक अवधि में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए रक्षाबंधन का पर्व केवल अपने घर, परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मानएं।**

21- **प्रभावित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-**

- बैंक संचालन की अनुमति प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक होगी।
- सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
- सभी बैकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराई जावेगी।
- सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें।
- बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

कोविड 19 की रोकथाम, बचाव एवं सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों में निम्नानुसार निर्देशों/शर्तो का पालन सुनिश्चित करेंगे -

1- **फेस कवर करना** - सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।

2- **सोशल डिस्टेसिंग बनाना** - व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम **6** फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।

3- **दुकान/होटल एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना** - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

4- दुकान/होटल को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।

5- दुकान/होटल के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

6- दुकान/होटल परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

7- दुकान/होटल परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जायें।

8- सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावें।

9- विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या **50 (पचास)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

10- अंतिम संस्कार/अंत्येष्ठी जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम **20 (बीस)** होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

11- समस्त कारखाना/औद्योगिक संथान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सैनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।

<u>रात्रि कर्फ्यू -</u>

आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग तथा बसों, रेलगाडियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा भी शामिल है, को छोडकर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही कडाई से निषिद्ध रहेगी।

उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। उपर्युक्त वर्णित आदेश में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। **जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा उपर्युक्त आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नही होगा।**

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)
जांजगीर दिनांक 30.07.2020

पृ. क्रमांक/ 1419 /एडीएम/2020
प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार जोन स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
9- सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट : जिला : जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)